सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 103/प्रा0पत्र/2022 **दायरा दिनांक :—06.06.2022**

GCMS ID—2022/25

1. खानालाल आ0 देवीलाल जाति धाकड निवासी डाबेटा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामेश्वर आ0 देवीलाल जाति धाकड निवासी डाबेटा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रामसहाय आ0 देवीलाल जाति धाकड निवासी डाबेटा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

दिनांक :— 16/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 396 रकबा 0.0567 हैक्टेयर गे0मु0 चाह वाके ग्राम डाबेटा में विस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। भूमि खसरा संख्या 391 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 393 रकबा 1.7644 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1448 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबेटा में विस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। भूमि खसरा संख्या 483 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 484 रकबा 2.0720 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1044 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबेटा में विस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। भूमि खसरा संख्या 395, 397, 398, 399, 401, 102, 403, 404 कुल किता 8 कुल रकबा 2.6224 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबेटा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा निहित है। भूमि खसरा संख्या 411, 481, 482 कुल किता 3 कल रकबा 2.4605 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबेटा में विस्थित है, जिसमें प्रार्थी रामेश्वर व रामसहाय का हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

देवीलाल है, परन्तु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 5 में देवीलाल के स्थान पर देव्या अंकित हो रहा है, उक्त पुराने समय में किये जाने वाले सम्बोधन के आधार पर दर्ज कर दिया है, परन्तु सम्मान जनक नहीं है, इसके अलावा प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों में भी पिता के नाम के स्थान पर देव्या नहीं होकर देवीलाल ही लिखा हुआ है तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 4 के रिकॉर्ड में प्रार्थी खानालाल का नाम कन्हैयालाल दर्ज हो रहा है, हालांकि कन्हैयालाल भी प्रार्थी का नाम नहीं है तथा कन्हैयालाल व खानालाल समानार्थक शब्द है परन्तु प्रार्थी के दस्तावेजों में खानालाल दर्ज होने से बच्चों के प्रमाण पत्र आदि जारी करवाने मे काफी दिक्कत हो रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 5 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में हो रही उक्त त्रुटियों को सही करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मियों से निवेदन किया गया है, परन्तु दुरूस्त करने से इन्कार कर दिये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त गलत प्रविष्टियों को सही करवाने के अधिकार प्राप्त है तथा इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है परन्तु दुरूस्त करने से इन्कार कर दिये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त गलत प्रविष्टियों को सही करवाने के अधिकार प्राप्त है तथा इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। भूमिया वाके ग्राम डाबेटा में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 5 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम देव्या के स्थान पर देवीलाल एवं चरण संख्या 1 से 4 के रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल के स्थान खानालाल आ0 देवीलाल दर्ज करने के आदेश फरमावे अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व / 24 / 459 दिनांक :–16.07.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम काछोला की भूमि खाता संख्या 137, 157, 158, 161 में दर्ज अपना कन्हैयालाल पुत्र देव्या को शुद्ध करवाकर खानालाल आ0 देवीलाल करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो / मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार कन्हैयालाल पुत्र देव्या व खानालाल आ0 देवीलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसको कन्हैयालाल के स्थान पर खानालाल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम खानालाल आ0 देवीलाल है एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का नाम देवीलाल, जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का नाम खानालाल आ0 देवीलाल दर्ज है एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का नाम देवीलाल अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम डाबेटा पटवार मण्डल डाबेटा के खाता संख्या 137, 158, 157, 161 में दर्ज सहखातेदार कन्हैयालाल पुत्र देब्या के स्थान पर खानालाल आ0 देवीलाल व प्रार्थी संख्या 2 रामेश्वर व प्रार्थी संख्या 3 रामसहाय के पिता का नाम देब्या के स्थान पर देवीलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली